

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 अप्रैल 2015—वैशाख 7, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2015

अधि. क्र. 131 एफ क्रमांक-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका परिषद् मकरोनिया बुजुर्ग, जिला सागर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	06	16 संत रविदास वार्ड 12 शंकर नगर वार्ड 17 महात्मा गांधी वार्ड 08 शिवाजी वार्ड 14 अवंती बाई वार्ड 05 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	18 शवरी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	02 श्री कृष्ण नगर वार्ड 07 रामलला वार्ड 10 शिवा नगर वार्ड 01 रानी दुर्गावती वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	08 शिवाजी वार्ड 12 शंकर नगर वार्ड 14 अवंती वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आरक्षित वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के आरक्षित वार्ड.	02	02 श्री कृष्ण नगर वार्ड 10 शिवा नगर वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	04	04 गंभीरिया ग्राम वार्ड 09 वल्लभभाई पटेल वार्ड 11 वृन्दावन वार्ड 06 महावीर नगर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 एस. एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव.